संख्या-514/2024/आई/768073/23-1-24/011-23-1002(002)/102/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 10 अक्टूबर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से बरेली मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 19 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-10712/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2024-25, दिनांक 05.10.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **बरेली मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 19 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 23,48,53,000/- (रूपये तेईस करोड़ अड़तालीस लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 पीलीभीत	फरीदपुर बीसलपुर अन्य जिला मार्ग के चै0 20.800 से 21.550 तक के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	44/2024/आई/49162 5/23-1-24/ 001-23-1002(002)/22/2024- दिनांक-09-02-2024	219.02 219.02 149.74 21.00 198.02	100.00	98.02	85.25
2	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	कांठ कुर्रिया कलाँ मार्ग से मार्ग से ग्राम कुर्रिया बहरी की पुलिया से ग्राम कुतआपुर के उत्तरी रास्ते से होते हुये ग्राम पल्हौरा की	74 /2024 /आई/508602/23-1-24/0 01-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	146.07 146.07 120.28 0.67 145.40	0.86	144.54	99.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		पुलिया तक सम्पर्क मार्ग।					
3	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ब्लाक ददरौल में अजीगंज चैहानपुर मार्ग से ग्राम चांदापुर देवी स्थान तक मार्ग का नवनिर्माण।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24/ 001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	74.13 74.13 58.28 2.43 71.70	0.44	71.26	49.75
4	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	कल्लुपुर से कुनिया शाहनजीरपुर संपर्क मार्ग।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24 /001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	241.43 241.43 144.56 46.33 195.10	1.42	193.68	80.39
5	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	जरौली से भुडी ककोड़ा संपर्क मार्ग।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24/ 001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	158.69 158.69 117.26 13.98 144.71	0.93	143.78	99.44
6	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ब्लाक मदनापुर उमरसड़ से मटेहना सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24 /001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	146.46 146.46 117.39 3.77 142.69	0.86	141.83	98.11
7	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ग्राम जल्लापुर गढिया रंगीन अमरेडी से मलरिया मिर्जापुर तक संपर्क मार्ग।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24/ 001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	219.50 219.50 178.81 0.18 219.32	1.29	218.03	88.58
8	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	जलापुर ढकिया रंगीन मार्ग से जगत पिपरथना पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रूप सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24/ 001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	66.72 66.72 54.45 0.05 66.67	0.39	66.28	46.28
9	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	मोहल्ला नितगंजा से हरनौखा सम्पर्क मार्ग।	77 /2024/ आई/510585/23-1-24/ 001-23-1002(002)/49 /2024 - दिनांक-04-03-2024	457.26 457.26 289.72 60.82 396.44	2.69	393.75	160.62
10	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ग्राम हेतमपुर से कछियन नगला मार्ग का नव निर्माण कार्य।	89 /2024/ आई/515262/23-1-24/ 001-23-1002(002)/60/2024 - दिनांक-07-03-2024	99.95 99.95 69.81 12.16 87.79	0.58	87.21	60.87
11	प्रा.ख. शाहजहांपुर	पुवा ेया नाहिल सिंघापुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	945 /2023/ आई/400730/23-1-23 /001-23-1002/5/2023 दिनं ाक 05.10.2023- दिनांक-05-10-2023	2716.20 2716.20 1395.77 610.27 2105.93	943.06	1162.87	317.27
12	प्रा.ख. शाहजहांपुर	पी0एस0एच0एल0 से रोसरकोठीषुगर मिल	945 /2023/ आई/400730/23-1-	836.59 836.59	541.83	133.38	99.62

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		सम्पर्क मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	23/ 001-23-1002/5/2023 दिनंाक 05.10.2023-दिनांक-05-10-2023	425.11 161.38 675.21			
13	प्रा.ख. शाहजहांपुर	बलसण्डी खुर्द जेवा जसवन्तपुर महमूदपुर सहजनिया रघुनाथपुर मार्ग (लखीमपुर सीमा तक) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	953 /2023/ आई/ 401601/ 23-1-23/001-23-1002/ 16/2023 दिनंाक 06.10.2023-दिनांक-06-10-2023	3981.17 3981.17 2146.10 888.81 3092.36	2127.71	964.65	324.01
14	प्रा.ख. शाहजहांपुर	रमेश्वरगंज गौटिया से खिरिया घाट तक सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24 /001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	105.21 105.21 76.39 2.26 102.95	1.00	101.95	96.80
15	प्रा.ख. शाहजहांपुर	ग्राम खिरिया रसूलपुर से पंचदेवरा सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24/ 001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	350.97 350.97 225.66 56.03 294.94	3.28	291.66	166.15
16	प्रा.ख. शाहजहांपुर	सिंघीपुर कलवर्ट मार्ग (अ0जि0मा0) किमी0 10 से फतेहपुर नहर पुलिया से रखिया बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/ आई/508602/23-1-24 /001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	133.18 133.18 75.96 27.66 105.52	1.25	104.27	98.99
17	प्रा.ख. शाहजहांपुर	ग्राम पंचायत अण्डहा में ग्राम सिल्हुआ होते हुये खुटार तक।	89 /2024/ आई/515262/23-1-24/001-23-1002(002)/60/2024 - दिनांक-07-03-2024	399.73 399.73 363.97 54.03 345.70	4.00	341.70	194.65
18	प्रा.ख. शाहजहांपुर	रहदेवा (ककरहा) से ग्राम मुडिया वैश्य सम्पर्क मार्ग।	89 /2024/ आई/ 515262/23-1-24 /001-23-1002(002) /60/2024 - दिनांक-07-03-2024	190.44 190.44 108.76 41.23 149.21	1.90	147.31	83.91
19	प्रा.ख. शाहजहांपुर	मझिला खिरिया मार्ग के किमी0-2 से मकरन्दपुर उर्फ धीमरपुरा सम्पर्क मार्ग।	89 /2024/ आई/515262/23-1 -24/001-23-1002(002)/60/2024 - दिनांक-07-03-2024	174.20 174.20 138.84 0.14 174.06	1.74	172.32	98.17
						कुल योग-	**2348.53**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 23,48,53,000/- (रूपये तेईस करोड़ अड़तालीस लाख तिरपन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-514/2024/आई/768073(1)/23-1-24/011-23-1002(002)/102/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।